न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार मीना, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 154 / 2022

अन्तर्गत धारा 88, राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 136 एल.आर.एक्ट

विश्वास फाऊण्डेशन संस्था, 1 डी 13, सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान) जरिये अध्यक्ष सुनील कुमार गोयल पुत्र श्री अनंतराम

–– वादी

बनाम

1– विश्वास फाऊण्डेशन, 26, चैरिंग क्रॉस, डगशाई (सोलन) हिमाचलप्रदेश (भारत) – 173210 जरिये अध्यक्ष / सचिव

2– स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

–– प्रतिवादीगण

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी	(वादी)
	अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी	(प्रतिवादी सं.1)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी सं.2)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 10.01.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार विश्वास फाऊण्डेशन संस्था, 1 डी 13, सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान) एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 81 / श्रीगंगानगर / 2013–14 दिनांक 09 / 01 / 2014 है संस्था का रजिस्टर्ड पता जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 के अर्न्तगत अपेक्षित है वह वाद पत्र के शीर्षक में अंकित किया हुआ है। संस्था में सुनील कुमार गोयल अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित है जो उक्त संस्था की ओर से कार्यवाही करने हेतू अधिकृत व्यक्ति है एवं वाद के समस्त तथ्यो से पूर्णतः परिचित है। वाद दो प्रतियो में पेश है तथा वादी के शपथ पत्र एवं अन्य साक्ष्यों से समर्थित है। चक 2 एम एल पटवार हल्का 2 एम एल की जमाबन्दी (खेवट / खतौनी) अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 142 / 5 के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 (प्रत्येक में 0.253 है.), 21 / 2 (0.164 है.) कुल 1.176 है. नहरी कृषि भूमि विश्वास फाउण्डेशन, 26 चेरिंग क्रास डगसाई (सोलन) हिमाचल प्रदेश (भारत) शाखा श्रीगंगानगर जरिये सचिव – हिस्सा पूर्ण श्रीगंगानगर अ. वि. व मंजू गोयल पत्नी सुनील गोयल व सदस्य शिवकुमार पुत्र कोलाराम नागपाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि विश्वास फाउण्डेशन संस्था, श्रीगंगानगर के लिए जरिये दस्तावेज बैयनामा पंजीयन दिनांक 06 / 10 [illegible] द्वारा के0बी0 अग्रवाल पुत्र श्री शान्तीपाल मिन जानिब मुखत्यार आम [illegible] से खरीद की गई चूंकि उक्त बैयनामा के समय विश्वास फाऊण्डेशन संस्था, [illegible] प्रतिवादी संख्या [illegible] में ही समायोजित थी तथा अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं [illegible] उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 विश्वास फाउण्डेशन, 26 चेरिंग क्रास डगसाई (सोलन) हिमाचल प्रदेश (भारत) शाखा श्रीगंगानगर जरिये सचिव–हिस्सा पूर्ण श्रीगंगानगर अ.वि.व मंजू गोयल पत्नी सुनील गोयल व सदस्य शिवकुमार पुत्र कोलाराम नागपाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाई गई। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि वादी संस्था के रजिस्टर्ड होने के बाद उक्त कृषि भूमि वादी संस्था को देना तय पाया गया । विश्वास फाउण्डेशन संस्था, श्रीगंगानगर का दिनांक 09 / 01 / 2014 को रजिस्ट्रार संस्थाए, श्रीगंगानगर से रजिस्ट्रेशन क्रमांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2023.03.22 17:53:53 IST
Reason: SelfAttested

81/श्रीगंगानगर/2013–14 पर पंजीयन हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी संस्था का हैड ऑफिस है की स्थानीय शाखा वादी संस्था अपनी कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अमल दरामद करवाने की अधिकारी है। वादी संस्था का कृषि भूमि के रिकार्ड में अंकन नहीं होने के कारण तथा कृषि भूमि के रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी संस्था का हैड ऑफिस है के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादी संस्था के रजिस्ट्रेशन से मिलान नहीं होता है, जिसके कारण वादी संस्था को कृषि ऋण सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अड़चने पैदा होती है इसके अलावा काश्तकारो को समय समय पर मिलने वाली खाद, बीज, मुआवजा आदि की सुविधाओ से भी वादी संस्था वंचित हो रही है तथा वादी संस्था के चेरिटेबल कार्यो के विस्तार हेतू भी उक्त कृषि भूमि का भूमि रूपान्तरण करवाने व आगामी कार्यवाही करने में बाधा कारित हो रही है इसलिए कृषि भूमि के रिकार्ड में अंकित विश्वास फाउण्डेशन, 26 चेरिंग कास डगशाई (सोलन) हिमाचल प्रदेश (भारत) शाखा श्रीगंगानगर जरिये सचिव –हिस्सा पूर्ण श्रीगंगानगर अ. वि. व मंजू गोयल पत्नी सुनील गोयल व सदस्य शिवकुमार पुत्र कोलाराम नागपाल के अंकन को दरूस्त किया जाकर विश्वास फाऊण्डेशन संस्था, 1 डी 13, सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान) के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की घोषणा करवाने व राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने की वादी संस्था अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रिकार्ड में उक्त वर्णित अनुसार दुरूस्त करवाने में पूर्णतः सहमत है । वादी ने दिनांक 17/09/2022 को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष अपनी समस्त वस्तुस्थिती से अवगत करवाते हुए राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करके वादी संस्था का अंकन करने हेतू निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ने श्रीमान जी न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर अंकन दरूस्त करवाने हेतू हिदायत दी गई, बस यही वाद कारण है इसलिए वादी को उक्त दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है । वादी नेकनीयत है वादी क्लीन हैण्ड से उक्त दावा पेश कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 लैण्ड होल्डर है एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करता है इसलिए पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है । वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 2 एमएल तहसील श्रीगंगानगर की है उक्त कृषि भूमि की सीमा श्रीमान जी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है इसलिए वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है । लिहाजा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) :– विश्वास फाउण्डेशन, 26 चेरिंग क्रास डगसाई (सोलन) हिमाचल प्रदेश (भारत) शाखा श्रीगंगानगर जरिये सचिव – हिस्सा पूर्ण श्रीगंगानगर अ. वि. व मंजू गोयल पत्नी सुनील गोयल व सदस्य शिवकुमार पुत्र कोलाराम नागपाल के नाम से चक 2 एम एल पटवार हल्का 2 एम एल की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 142/5 के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 (प्रत्येक में 0.253 है.), 21/2 (0.164 है.) कुल 1.176 है. नहरी कृषि भूमि के अंकन को दुरस्त किया जाकर विश्वास फाऊण्डेशन संस्था, 1 डी 13, सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान) " अंकित करने के आदेश दिये जावे ।

(ख) :– अन्य कोई अनुतोष जो वादी संस्था के हित में हो प्रदान किये जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इकबाल दावा जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार चक 2 एम एल पटवार हल्का 2 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतौनी) अन्तिम चौसाला आधार संवत 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 142 / 5 के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 (प्रत्येक में 0.253 है.), 21/2(0.164 है.) कुल 1.176 है. नहरी कृषि भूमि वादी संस्था के लिए ही खरीद की गई थी तथा वादी संस्था, उतरदाता/प्रतिवादी संख्या 1 में ही समायोजित थी। वादी संस्था विश्वास फाऊण्डेशन संस्था, 1 डी 13, सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान) श्रीगंगानगर के नाम से राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि अमल दरामद की जाती है तो उतरदाता / प्रतिवादी संख्या 1 संस्था को कोई आपति नहीं है।लिहाजा जवाब वाद पत्र प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2023.03.22 17:53:53 IST
Reason: SelfAttested

कर निवेदन है वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर विश्वास फाउण्डेशन, 26 चेरिंग क्रास डगसाई (सोलन) हिमाचल प्रदेश (भारत) शाखा श्रीगंगानगर जरिये सचिव हिस्सा पूर्ण श्रीगंगानगर अ.वि.व मंजू गोयल पत्नी सुनील गोयल व सदस्य शिवकुमार पुत्र कोलाराम नागपाल के नाम से चक 2 एम एल पटवार हल्का 2 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 142/5 के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 (प्रत्येक में 0.253 है.), 21/2(0.164 है.) कुल 1.176 है. नहरी कृषि भूमि के अंकन को दुरस्त किया जाकर विश्वास फाऊण्डेशन संस्था, 1 डी 13, सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)" अंकित करने के आदेश दिये जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

बहस सुनी गई। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम 2 एमएल, पटवार हल्का 2 एमएल, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीगंगानगर खाता संख्या 142/5, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कमांक 81 श्रीगंगानगर 2013–14 की प्रति का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा का अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जा सकता है।

–::आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर विश्वास फाउण्डेशन, 26 चेरिंग क्रास डगसाई (सोलन) हिमाचल प्रदेश (भारत) शाखा श्रीगंगानगर जरिये सचिव हिस्सा पूर्ण श्रीगंगानगर अ.वि.व मंजू गोयल पत्नी सुनील गोयल व सदस्य शिवकुमार पुत्र कोलाराम नागपाल के नाम से चक 2 एम एल पटवार हल्का 2 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 142/5 के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 (प्रत्येक में 0.253 है.), 21/2(0.164 है.) कुल 1.176 है. नहरी कृषि भूमि के अंकन को दुरस्त किया जाकर विश्वास फाऊण्डेशन संस्था, 1 डी 13, सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)" अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10.01.2023 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2023.03.22 17:53:53 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर